

पत्र सं०- e.gov./CFMS -03/2024.....

1210

बिहार सरकार
वित्त विभाग

:: आदेश ::

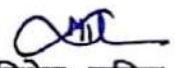
पटना, दिनांक 31-01-2025

राज्य सरकार के अधीन सभी प्रकार के वित्तीय कार्यों के क्रियान्वयन हेतु CFMS 1.0 के स्थान पर नया वर्जन CFMS 2.0 को दिनांक 01.01.2025 से क्रियान्वित किया गया है । CFMS 2.0 लागू होने के फलस्वरूप इसके समीक्षा के क्रम में यह स्पष्ट हुआ है कि विभाग/कार्यालयों के द्वारा वेतन विपत्र तैयार करने में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है । वेतन विपत्र पारित करने हेतु दिनांक-01.02.2025 (शनिवार) को सचिवालय कोषागार सहित दिनांक-02.02.2025 (रविवार) को राज्य के सभी कोषागार को खोलने का निर्णय लिया गया है ।


(मुकेश कुमार लाल)
विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- e.gov./CFMS -03/2024..... पटना, दिनांक- 31-01-2025

प्रतिलिपि: अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सभी विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि वेतन विपत्र तैयार करने हेतु संबंधितों को निदेशित करने की कृपा की जाय ।


विशेष सचिव ।

ज्ञापांक- e.gov./CFMS -03/2024..... पटना, दिनांक- 31-01-2025

प्रतिलिपि: सभी जिला पदाधिकारी, बिहार/माननीय उप मुख्य (वित्त) मंत्री के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/श्री आलोक कुमार, संयुक्त आयुक्त, वित्त विभाग, बिहार, पटना/सभी वरीय कोषागार पदाधिकारी, बिहार/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/विशेष सचिव के आप्त सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/श्री प्रकाश चन्द्र मिश्रा, TCS Ltd, Patna को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

कोषागार प्रशाखा, 36 एवं 28 के संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मों को दिनांक-01.02.2025 (शनिवार) को अन्य कार्य दिवस की भांति उपस्थित होने का निदेश दिया जाता है ।


विशेष सचिव ।